बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 25 अक्टूबर, 2025

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा आज निर्वाचन तैयारियों की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें द्वितीय चरण के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में निर्वाचन व्यय निगरानी, मीडिया मॉनिटरिंग, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, संचार एवं परिवहन योजना, बल तैनाती, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण, ईवीएम वज्रगृह एवं अन्य तैयारी, वेबकास्टिंग व्यवस्था तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई।

अभ्यर्थियों को व्यय संबंधी विधिक प्रावधानों से अवगत कराने, व्यय रजिस्टर की जांच आदि के संबंध में निदेश दिये गए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया की निगरानी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित AI संबंधित दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन पर बल दिया गया। डीएम एवं एसपी द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के भ्रमण तथा अवैध शराब निर्माण और वितरण की रोकथाम हेतु भी आवश्यक निदेश दिये गए। संचार एवं परिवहन योजना की गुणवत्ता तथा 'कम्युनिकेशन शैडो एरिया' में की गई विशेष व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय बलों की तैनाती, रूट मार्च एवं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया की वैसे मतदान केन्द्र जहाँ मतदान की अवधि में परिर्वतन हुआ है इसकी सूचना मतदाताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही छठ महापर्व के अवसर पर मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप गतिविधियाँ आयोजित करने पर भी बल दिया गया। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, 1950 हेल्पलाइन के प्रचार–प्रसार तथा विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों जैसे c-VIGIL, SUVIDHA, Saksham App, PrO App आदि के उपयोग की स्थिति पर भी समीक्षा की गई। महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों एवं बॉर्डर चेकपोस्ट पर वेबकास्टिंग की तैयारी, अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन, मतदाता सूची, पोस्टल बैलेट, ETPBS एवं रैंडमाइजेशन की प्रगति की भी जानकारी ली गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके।

****